

**झारखण्ड सरकार**  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

**अधिसूचना**

राँची, दिनांक.....

संख्या :- 08/नीति-02/2015 ..... / पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुच्छेद 45.23 को दृष्टिपथ में रखते हुए वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-660 दिनांक-08.02.1999 के अनुसूची III की कंडिका (14) में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप झारखण्ड सचिवालय सेवा का गठन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-4619 दिनांक-02.08.2010 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 का गठन किया गया है।

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या F.No.21/12/2010-CS.I(P), दिनांक-21.12.2015 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत 'सहायक' पद का पदनाम परिवर्तित करते हुए 'सहायक अनुभाग अधिकारी' किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत 'सहायक' पदनाम को परिवर्तित करते हुए 'सहायक प्रशाखा पदाधिकारी' किया जाता है।

3. उक्त पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप राजकोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ए०के० सत्यजीत)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 08/नीति-02/2015..... / राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 08/नीति-02/2015..... 31.8.5 ..... / राँची, दिनांक..... 15.5.18

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड एवं सभी संबंधित कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।